न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 81/2020

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. सुजाता देवी पत्नि अशवनी कुमार जाति महेश्वरी साकिन 4ए1 जवाहरनगर श्रीगगानगर
2. अवधेश पुत्र अरविन्द बिहाणी जाति महेश्वरी साकिन 4 ए 1जवाहरनगर श्रीगगानगर
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी 126 लक्ष्मी नगर श्रीगंगानगर
4. शंकर लाल पुत्र श्री सुरजा राम जाति कुम्हार निवासी 4 एमएल तह. व जिला श्रीगंगानगर
5. मदन लाल पुत्र सुरजा राम जाति कुम्हार निवासी 60 राणा प्रताप कॉलोनी श्रीगंगानगर,
6. सुरेन्द्र जांगिड पुत्र श्री पूर्णमल जांगिड निवासी मकान नं. 4 गीली नं. 3 गणपति नगर श्रीगंगानगर
7. चन्द्रभान पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी मकान नं. 97–98 लक्ष्मी नगर श्रीगंगानगर
8. भूप सिंह पुत्र श्री दयालराम जाति जाट निवासी चक 3 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. रविशंकर पुत्र बलराम जाति कुम्हान निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. जगननाथ वर्मा पुत्र कर्मचन्द जाति कुम्हार निवासी 235/4 शक्तिनगर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
11. महेन्द्र बंसल पुत्र श्री राधेश्याम बंसल जाति अग्रवाल निवासी 6 ई छोटी नेहरा नगर श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थिति अधिवक्ता ::–

1. पैरोकार राज –राज्य पक्ष
2. श्री राजेन्द्र पाल सूद –प्रतिवादीगण

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.01.2021

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 2 एम एल के मु.नं. 20 के किला नं.1ता10/2.530, 11/1=0.126, 12/1=0.127, 13/1=0.127, 14/1=0.139, 15/1=0.025, 16/1=0.025, 25/2=0.025 कुल 3.225 हैक0, बाग कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है(जमाबन्दी की प्रति संलग्न है)। उक्त खातेदारी भूमि में से चक 2 एम एल के मु.नं. 20 के किला नं.1ता10/2.530, 11/1=0.126, 12/1=0.127, 13/1=0.127, 14/1=0.139, 15/1=0.025, 16/1=0.025, 25/2=0.025 कुल 3.225 हैक.

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बाग कृषि भूमि का उपयोग सडक व निमार्णाधीन भवन को छोड कर शेष रकबा पर मौका पर बाग लगा हुआ है। मौका पर उक्त रकबा में से कृषि कार्य में न होकर मौके पर सडके बनाकर बिजली के पोल लगाये जाकर अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। यह कि उक्त अराजी काबिले–काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिर्वन कराये/ स्वीकृति प्राप्त किये मौके पर अकृषि कार्य में उपयोग की जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग लेना गैर–कानूनी है। चक 2 एम एल के मु.नं. 20 के किला नं.1 ता 10/2.530, 11/1=0.126, 12/1=0.127, 13/1=0.127, 14/1=0.139, 15/1=0.025, 16/1=0.025, 25/2=0:025 कुल 3.225 हैक0, बाग भूमि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चक 2 एमएल के अनुसार बिना स्वीकृ ति/संपरिर्वतन कराये अकृषि उपयोग मे किया जा रहा है, रिपोर्ट पटवारी संलग्न है। यह कि दावा राज हित में है इसलिए कोर्टफीस देय नही है। यह कि रकबा राजहित में सिवाय चक घोषित किया जावे। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 15.09.2020 को जबाव प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 1 स्वीकार है । अप्रार्थीगण के नाम से चक 2 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0, किला नं. 11 में 0.126 है0, किला नं. 12/1 में 0.127 है0, किला नं. 13/1 में 0.127 है0, किला नं. 14/1 में 0.139 है0, किला नं. 15/1 में 0.025 है, किला नं. 16/1 में 0.025 है0, किला नं. 25/2 में 0.025 है0 कुल 3.225 है। कृषिभूमि अप्रार्थीगण के नाम से है, जिसमें मौके पर बाग लगा हुआ है और किन्नु एवं नीबू के पेड़ लगे हुए है । अप्रार्थीगण यह भी कथन करते है कि अप्रार्थीगण ने चक 2 एमएल, मुरब्बा नं. 20 में अपनी उक्त कृषिभूमि, जिसमें बाग लगा हआ है, में से किला नं. 6 व 7 में 0.3136 है। भूमि को लगे हुये बाग सहित दिनांक 29.04.2020 को श्री रविशंकर पुत्र बलराम एवं जगननाथ वर्मा पुत्र कर्मचन्द वर्मा को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से विक्रय कर दिया है एवं दिनांक 18.02.2020 को उक्त भूमि मुरब्बा नं. 20 में से किला नं. 7, 8, 9 में से 0.2904 हैक. भूमि को बाग सहित श्री चन्द्रभान पुत्र काशीराम एवं श्री भूप सिंह पुत्र दयाल राम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के द्वारा विक्रय कर दिया है तथा दिनांक 11.05.2020 को उक्त में से मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 2,3 व 4 में से कल 0.3484 है। भूमि को बाग सहित श्री राजेन्द्र कमार पत्र श्री रामप्रताप एवं शंकरलाल पत्र श्री सरजाराम को रजिस्टड विक्रया द्वारा विक्रय कर दिया है तथा दिनांक 29.06.2020 को उक्त कृषि भूमि मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 5,6,13,14,15 में से कुल 0.2890 है। कृषि भूमि को बाग सहित जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से श्री मदनलाल पुत्र श्री सुरजाराम एवं भूप सिंह पुत्र श्री दयाल राम को विक्रय कर दिया है एवं दिनांक 29.01.2020 को उक्त कृषि भूमि मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 11,12,13 में लगे हुए बाग सहित कुल 0.313 है0 भूमि को श्री मदनलाल पुत्र सुरजाराम एवं सुरेन्द्र जांगिड़ पुत्र पूर्णमल जांगिड़ को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से विक्रय कर दिया है एवं दिनांक 07.02.2020 को उक्त कृषि भूमि मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1,2 में 0.2728 है0 एवं दिनांक 10.07.2020 को मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 4,5 की कुल 0.2904 है0 भूमि को बाग सहित श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्रताप एवं महेन्द्र बंल पुत्र श्री राधेश्याम बंसल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय कर दिया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बाग के खरीददारों को उनके द्वारा खरीद की गयी बाग की भूमि तक जाने के लिए एवं उत्पादित फलों को विक्रय के लिए कृषि मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रको के आवागमन हेतु किला नं 1 से किला नं. 5 तक एवं किला नं. 6 से किला नं. 10 तक 30 फुट चौड़ाई में अस्थाई रूप से भूमि रास्ते के रूप में दी गयी है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में अब कोई शेष नहीं रह गया है । उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

खरीदारान ही अब उक्त भूमि के खातेदार मालिक बन गये है । उक्त भूमि में कोई भी अकृषि उपयोग नहीं किया गया है । अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही समाप्त करने कृपा करें।

अप्रार्थीगण राजेन्द्रकुमार पुत्र शंकर लाल, राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा, महेन्द्र बंसल पुत्र राधेश्याम बंसल, मदन लाल पुत्र सुरजा राम, भूप सिंह पुत्र श्री दयालराम, रवि शंकर पुत्र बलराम, जगननाथ वर्मा पुत्र श्री कर्मचन्द, चन्द्रभान पुत्र काशीराम, सुरेन्द्र जांगिड पुत्र श्री पूर्णमल जांगिड, शंकर लाल पुत्र सुरजा राम की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 1 सी.पी.सी पेश किया गया जिसे स्वीकार कर उपरोक्त पक्षकारान को वाद में पक्षकार बनाया गया।

अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार व शंकर लाल की ओर से दिनांक 13.10.2020 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्रीमती सुजाता देवी व अवधेश कुमार के नाम से चक 2 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0, किला नं. 11 में 0.126 है0, किला नं. 12/1 में 0.127 है0, किला नं. 13/1 में 0.127 है0, किला नं. 14/1 में 0.139 है0, किला नं. 15/1 में 0.025 है, किला नं. 16/1 में 0.025 है0, किला नं. 25/2 में 0.025 है0 कुल 3.225 है। भूमि थी । उक्त कृषिभूमि में मौके पर बाग लगा हुआ है । उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार व शंकरलाल ने दिनांक 11.05.2020 को किला नं. 2,3,4 में कुल 0.3484 है। कृषिभूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं मौके पर 26 अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक मालिक व काबिज चले आ रहे है । उक्त भूमि पर इस समय भी बाग लगा हुआ है एवं किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि के पूर्व मालिक व खातेदार सुजाता देवी व अवधेश कुमार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि मय बाग करीब 5–6 व्यक्तियों की विक्रय की जा चकी है और सभी मालिकान को अपनी अपनी जोत/कृषिभमि में पहुंचने के लिए सर्वसम्मति से किला नं 1 ता 5 एवं 6 ता 10 में कच्चा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि अस्थाई रूप से उपयोग हेतु चालु है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता अपनी कृषि उपज किन्नु वगैरहा को फल मण्डी में पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर व ट्रको के आवागमन के लिए बनाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को स्थाई तौर पर स्वीकृत किये जाने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में आवेदन पेश किया जा रहा है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार व महेन्द्र बंसल की ओर से दिनांक 13.10.2020 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्रीमती सुजाता देवी व अवधेश कुमार के नाम से चक 2 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0, किला नं. 11 में 0.126 है0, किला नं. 12/1 में 0.127 है0, किला नं. 13/1 में 0.127 है0, किला नं. 14/1 में 0.139 है0, किला नं. 15/1 में 0.025 है, किला नं. 16/1 में 0.025 है0, किला नं. 25/2 में 0.025 है। कुल 3.225 है। भूमि थी । उक्त कृषि भूमि में मौके पर बाग लगा हुआ है । उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार व महेन्द्र बंसल ने दिनांक 07.02.2020 को किला नं. 1,2 में कुल 0.2728 हैक. व दिनांक 10.07.2020 को किला नं. 4 व 5 में 0.02904 हैक. कुल 0.5632 हैक कृषिभूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं मौके पर अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक मालिक व काबिज चले आ रहे है । उक्त भूमि पर इस समय भी बाग लगा हुआ है एवं किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । यह कि उक्त भूमि के पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मालिक व खातेदार सुजाता देवी व अवधेश कमार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि मय बाग करीब 5–6 व्यक्तियों की विकय की जा चुकी है और सभी मालिकान को अपनी अपनी जोत /कृषिभमि में पहुंचने के लिए सर्वसम्मति से किला नं. 1 ता 5 एवं 6 ता 10 में कच्चा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि अस्थाई रूप स उपयोग हेतु चाल है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता अपनी कृषि उपज किन्नु वगैरहा को फल मण्डी में पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर व ट्रको के आवागमन के लिए बनाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को स्थाई तौर पर स्वीकत किये जाने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में आवेदन पेश किया जा रहा है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी रविशंकर व जगननाथ की ओर से दिनांक 13.10.2020 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्रीमती सुजाता देवी व अवधेश कुमार के नाम से चक 2 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0, किला नं. 11 में 0.126 है0, किला नं. 12/1 में 0.127 है0, किला नं. 13/1 में 0.127 है0, किला नं. 14/1 में 0.139 है0, किला नं. 15/1 में 0.025 है, किला नं. 16/1 में 0.025 है0, किला नं. 25/2 में 0.025 है0 कुल 3.225 है। भूमि थी । उक्त कृषि भूमि में मौके पर बाग लगा हुआ है । उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण रविशंकर एवं जगननाथ ने दिनांक 29.04.2020 को किला नं. 6,7 में कुल 0.3136 है। कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं मौके पर अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक मालिक व काबिज चले आ रहे है । उक्त भूमि पर इस समय भी बाग लगा हुआ है एवं किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । यह कि उक्त भूमि के पूर्व मालिक व खातेदार सुजाता देवी व अवधेश कुमार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि मय बाग करीब 5–6 व्यक्तियों की विक्रय की जा चुकी है और सभी मालिकान को अपनी अपनी जोत /कषि भूमि में पहुंचने के लिए सर्वसम्मति से किला नं. 1 ता 5 एवं : ता 10 में कच्चा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि अस्थाई रूप से उपयोग हेतु चालु है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता अपनी कृषि उपज किन्नु वगैरहा को फल मण्डी में पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर व ट्रको के आवागमन के लिए बनाया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को स्थाई तौर पर स्वीकृत किये जाने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में आवेदन पेश किया जा रहा है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खरीदशदा भमि के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी मदन लाल व सुरेन्द्र जांगिड़ की ओर से दिनांक 13.10.2020 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्रीमती सुजाता देवी व अवधेश कुमार के नाम से चक 2 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0, किला नं. 11 में 0.126 है0, किला नं. 12/1 में 0.127 है0, किला नं. 13/1 में 0.127 है0, किला नं. 14/1 में 0.139 है0, किला नं. 15/1 में 0.025 है, किला नं. 16/1 में 0.025 है0, किला नं. 25/2 में 0.025 है0 कुल 3.225 है। भूमि थी। उक्त कृषिभूमि में मौके पर बाग लगा हुआ है । उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण मदनलाल व सुरेन्द्र जांगिड़ ने दिनांक 29.01.2020 को किला नं. 11,12,13 में कुल 0.313 है। कृषिभूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं मौके पर अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक मालिक व काबिज चले आ रहे है । उक्त भूमि पर इस समय भी बाग लगा हुआ है एवं किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । यह कि उक्त भूमि के पूर्व मालिक व खातेदार सुजाता देवी व अवधेश कुमार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि मय बाग करीब

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

5–6 व्यक्तियों की विक्रय की जा चुकी है और सभी मालिकान को अपनी अपनी जोत/कृषि भूमि में पहुंचने के लिए सर्वसम्मति से किला नं. 1 ता 5 एवं 6 ता 10 में कच्चा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि अस्थाई रूप से उपयोग हेतु चालु है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता अपनी कृषि उपज किन्नु वगैरहा को फल मण्डी में पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर व ट्रको के आवागमन के लिए बनाया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को स्थाई तौर पर स्वीकृत किये जाने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में आवेदन पेश किया जा रहा है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी चन्द्रभान व भुपसिंह की ओर से दिनांक 13.10.2020 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्रीमती सुजाता देवी व अवधेश कुमार के नाम से चक 2 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0, किला नं. 11 में 0.126 है0, किला नं. 12/1 में 0.127 है0, किला नं. 13/1 में 0.127 है0, किला नं. 14/1 में 0.139 है0, किला नं. 15/1 में 0.025 है, किला नं. 16/1 में 0.025 है0, किला नं. 25/2 में 0.025 है। कुल 3.225 है। भूमि थी । उक्त कृषिभूमि में मौके पर बाग लगा हुआ है । उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण चन्द्रभान व भुप सिंह ने दिनांक 18.02.2020 को किला नं. 7,8,9 में कुल 0.2904 है। कृषिभूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं मौके पर अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक मालिक व काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि पर इस समय भी बाग लगा हुआ है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि उत्पाद एवं फलों के भण्डारन के लिए एक गोदाम बनाया हुआ है । उक्त भमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । यह कि उक्त भूमि के पूर्व मालिक व खातेदार सुजाता देवी व अवधेश कमार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि मय बाग करीब 5–6 व्यक्तियों की विक्रय की जा चुकी है और सभी मालिकान को अपनी अपनी जोत/कृषिभूमि में पहुंचने के लिए सर्वसम्मति से किला नं.1 ता 5 एवं 6 ता 10 में कच्चा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि अस्थाई कृषि उपज किन्नु वगैरहा को फल मण्डी में पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर व ट्रको के आवागमन के लिए बनाया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को स्थाई तौर पर स्वीकत किये जाने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में आवेदन पेश किया जा रहा है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी चन्द्रभान व भुपसिंह की ओर से दिनांक 13.10.2020 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्रीमती सुजाता देवी व अवधेश कुमार के नाम से चक 2 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0, किला नं. 11 में 0.126 है0, किला नं. 12/1 में 0.127 है0, किला नं. 13/1 में 0.127 है0, किला नं. 14/1 में 0.139 है0, किला नं. 15/1 में 0.025 है, किला नं. 16/1 में 0.025 है0, किला नं. 25/2 में 0.025 है। कुल 3.225 है। भूमि थी। उक्त कृषिभूमि में मौके पर बाग लगा हुआ है । उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण मदनलाल व भुप सिंह ने दिनांक 29.06.2020 को किला नं. 5,6,13,14,15 में कुल 0.2890 है0 कृषिभूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं मौके पर अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक मालिक व काबिज चले आ रहे है । उक्त भूमि पर इस समय भी बाग लगा हुआ है एवं किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । यह कि उक्त भूमि के पूर्व मालिक व खातेदार सुजाता देवी व अवधेश कमार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि मय बाग करीब

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

5–6 व्यक्तियों की विक्रय की जा चुकी है और सभी मालिकान को अपनी अपनी जोत / कृषिभमि में पहुंचने के लिए सर्वसम्मति से किला. नं. 1 ता 5 एवं 6 ता 10 में कच्चा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि अस्थाई रूप से उपयोग हेतु चालु है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता अपनी कृषि उपज किन्नु वगैरहा को फल मण्डी में पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर व ट्रको के आवागमन के लिए बनाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को स्थाई तौर पर स्वीकृत किये जाने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में आवेदन पेश किया जा रहा है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये जावे।

वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर मौका निरीक्षण रिपोट मंगवायी गई। नायब तहसीलदार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.11.2020 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार दिनांक 13.11.2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 1210 दिनांक 12.11.2020 की पालना में प्रकरण संख्या 81/2020 अनवान सरकार बनाम सुजाता देवी में वादग्रस्त आराजी चक 2 एमएल के मु.नं. 20 के किला नं. 1 ता 10(2.530), 11/1(0.126), 12/1(0.127), 13/1(0.127), 14/1(0.139), 15/1(0.025), 16/1(0.025), 25/2(0.025) कुल 3.225 हैक्टर का पटवारी रामनिवास स्वामी के साथ मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 में कच्ची सड़क लगभग 45 फुट चौडी तथा किला नम्बर 6 ता 10 एवम् 11 ता 15 में लगभग 42.5 फुट चौडी कच्ची सडक व किला नम्बर 6 में पूर्व दिशा में लगभग 22 फुट कच्ची सडक है। किला नम्बर 16/1(0.025), 25/2(0.025) में कच्चा रस्ता व खाली जमीन है। किला नम्बर 13 ता 15 बाग में गेहूं की भी काश्त है। किला नम्बर 3 ता 5 में बाग में चना की भी काश्त है। बाकी के कुछ रकबा में बाग के साथ कुछ अन्य काश्त भी की हुई है। किला नम्बर 1, 10, 11 में लगभग 40 फुट जगह सडक के साथ साथ खाली पड़ी है। किला नम्बर 1 व 10 में लगभग 22 से 25 फुट के गेट लगे हुए हैं। किला नम्बर 13 में लगभग 50 गुणा 75 फुट में एक गोदामनुमा भवन का निर्माण किया हुआ है। एक अन्य स्थान पर छोटी डिग्गी व एक पुराना कमरा भी बना हुआ है। कच्ची सडक पर बिजली के पोल पर तार लगी हुई हैं। किला नं. 1 ता 6 व 10 ता 15 में चारदीवारी की हुई है।

प्रतिवादीगण की ओर से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त भूमि में उत्पादित फलों को विक्रय के लिए कृषि मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रको के आवागमन हेतु किला नं. 1 से किला नं. 5 तक एवं किला नं. 6 से किला नं. 10 तक 30 फुट चौड़ाई में अस्थाई रूप से भूमि रास्ते के रूप में दी गयी है। मिकरा उक्त भूमि के रूपान्तरण हेतु 90 दिवस में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त भूमि का रूपान्तरण करवा लेगी।

पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा कोर्ठ अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है मौके पर किन्नू के बाग लगे हुए हैं। गेहूं एवं चने की फसल काश्त है। किन्नू व अन्य कृषि उपज के परिवहन के लिए अथायी सडक एवं भण्डारण हेतु गोदामनुमा कमरे का निर्माण किया हुआ है। किन्दु के बाग की सुरक्षा हेतु चारदीवारी की हुई है। नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी इन तथ्यों की पुष्टि की गई है। गिरदावरी चक 2 एम एल मुरब्बा नम्बर 20 एवं पानी की पर्ची चक 2 एमएल से भी प्रश्नगत आराजी पर कृषि कार्य होना साबित होता है। तहसीलदार द्वारा चारदीवारी देख कर गलतफहमी में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही की है, फिर भी प्रतिवादीगण ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि सक्षम प्रधिकारी से भूमि रूपान्तरण करवाए बिना कोई अकृषि कार्य नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के रूपान्तरण हेतु आवेदन नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसकी प्राप्ति रसीद न्यायालय में पेश की गई है। पैरोकार राज द्वारा कथन किए गए कि यदि रूपान्तरण से पूर्व अकृषि कार्य किया तो तहसीलदार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। इस शर्त पर कार्यवाही ड्रॉप करने का प्रतिरोध नहीं किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित शपथ पत्र प्रतिवादीगण, मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार एवम् **गिरदावरी चक 2 एमएल मुरब्बा नम्बर 20, पानी की पर्ची, नगर विकास न्यास के समक्ष प्रस्तुत रूपान्तरण आवेदन दिनांक 24.12.2020 की छाया प्रति** का अवलोकन किया गया। राजपैरोकार बहस एवं नायब तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि मौका पर गेहूं व चने की फसल काश्त है एवं किन्नू के बाग लगे हुए हैं। गोदामनुमा कमरा एवं चारदीवारी के अलावा अन्य किसी संरचना का मौके पर निर्माण नहीं पाया गया है। चक 2 एमएल मु.नं. 20 की गिरदावरी व पानी की पर्ची के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत रकबे पर बाग लगा हुआ है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अकृषि कार्य होना साबित नहीं होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के रूपान्तरण हेतु नगर विास न्यास, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 24.12.2020 को आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 177 आर.टी.ए पोषणीय न होने के कारण इस शर्त पर खारिज किया जाता है कि प्रतिवादीगण इस बात के लिए पाबंद रहेंगे कि कृषि भूमि का बिना सक्षम प्राधिकारी के रूपान्तरण करवाए बिना गैरकृषि प्रयोग नहीं करें। अप्रार्थीगण 90 दिवस के भीतर संपरिवर्तन आदेश प्राप्त कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात् ही कोई अकृषि कार्य करने के अधिकारी होंगे। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि आदेश दिवस से 90 दिवस पश्चात् यदि अप्रार्थीगण द्वारा बिना रूपान्तरण करवाए अकृषि कार्य किया जा रहा हो तो वह उस रकबे को रिसिवर करने की कार्यवाही अमल में लावे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिंनाक 05.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner